

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक

2015 जिला-दतिया No / 3702-2-15

- 1- सफात पुत्र जकाउल्ला कुरेशी
- 2- इशरत पुत्र जकाउल्ला कुरेशी
- 3- आरिफ पुत्र जकाउल्ला कुरेशी
- 4- परवेज पुत्र जकाउल्ला कुरेशी
- 5- आसिफ पुत्र जकाउल्ला कुरेशी
निवासीगण आनंद टॉकीज के पास,
दतिया म0प्र0
- 6- संजय कुमार पुत्र हरीशचन्द्र अग्रवाल
- 7- मनोज कुमार पुत्र हुकूमचन्द्र अग्रवाल
- 8- मोहन लाल पुत्र हुकूमचन्द्र अग्रवाल
- 9- सुनील कुमार पुत्र गुलाबचन्द्र अग्रवाल
निवासीगण- भटियाला मौहल्ला,
दतिया म0प्र0
- 10- मंजूदेवी पत्नी श्रीकृष्ण गुगौरिया,
- 11- अनिल पुत्र श्रीकृष्ण गुगौरिया,
- 12- विकास पुत्र श्रीकृष्ण गुगौरिया,
- 13- अनुराग पुत्र श्रीकृष्ण गुगौरिया,
- 14- श्रीकृष्ण पुत्र राधेश्याम गुगौरिया,
निवासीगण जीन प्रेस स्टेशन रोड,
दतिया म0प्र0
- 15- हेमन्त कुमार पुत्र बीधाराम,
निवासी करण कुंज कॉलोनी के पास,
झाँसी रोड, दतिया म0प्र0
- 16- भगतराम पुत्र पन्नालाल,
निवासी इंदरगढ, जिला दतिया म0प्र0
- 17- अजय मित्तल पुत्र श्री सुरेश चन्द्र मित्तल,
निवासी 114/116 गंज मुरार, ग्वालियर म0प्र0
- 18- अवध किशोर पुत्र मदनलाल गुप्ता,
निवासी धमतालपुरा, दतिया म0प्र0

-- आवेदकगण

विरुद्ध

मध्य प्रदेश शासन, द्वारा - कलेक्टर,
जिला दतिया म0प्र0

-- अनावेदक

श्री. अमरेंद्र कुमार
द्वारा आज दि. 16/11/15 को
दस्तुत

राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

Q. Chaturvedi
16/11/15

न्यायालय अपर कलेक्टर, दतिया द्वारा प्रकरण क्रमांक 25/बी-121/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 06.11.2015 के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

f.4

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर


अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3702 - II / 2015

जिला- दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
17.11.15	<p>प्रकरण का अवलोकन किया। आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला दतिया द्वारा प्रकरण क्रमांक 25/बी-121/2014-15 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 06.11.2015 से परिवेदित होकर म.प्र. भू-राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गयी है।</p> <p>2- उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं आवेदकगण की ओर प्रस्तुत की गयी, अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदकगण द्वारा उपरोक्त विवादित भूमि पृथक-पृथक विक्रयपत्रों के माध्यम से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। उक्त विक्रयपत्रों की वैधानिकता की जाँच करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। क्योंकि न्यायदृष्टांत 2011 आर.एन. 193 एवं 2006 आर.एन. 330 में न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख राजस्व न्यायालय इसकी विधि मान्यता की जाँच नहीं कर सकते। अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण को स्वमेव पुनरीक्षण में लिया है, जबकि अभिलेख से स्पष्ट है कि इस प्रकरण में विक्रयपत्र 28-29 वर्ष पूर्व किये गये हैं और भूमि आवेदकों के नाम पर दर्ज चली आ रही है। उक्त प्रविष्टी को निरस्त कर भूमि मध्य प्रदेश शासन</p>	

१५



अंकित करने में अपर कलेक्टर न्यायालय ने त्रुटि की है। यदि तर्क के लिए यह मान्य भी लिया जाये कि आवेदकों के नाम पर राजस्व कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा शासकीय भूमि पर फर्जी तरीके से भू-स्वामियों के नाम दर्ज किये हैं। वह त्रुटिपूर्ण हैं। तब भी 26 वर्ष पश्चात् निरस्त करना न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं है। क्योंकि न्यायदृष्टांत 1998(1) म.प्र. वीकली नोट्स 26 मौहम्मद कवि बनाम फतमाबाई इब्राहिम में माननीय उच्चतम न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:-


“परिसीमा-स्वप्रेरणा से जाँच की शक्ति-कानून के अधीन परिसीमा की अवधि उपबंधित नहीं। युक्तियुक्त समय के भीतर प्रारम्भ की जानी चाहिए- प्रयोजन के लिए एक वर्ष अयुक्तियुक्त हो सकता है”।

“भू-राजस्व संहिता 1959 (म.प्र.) धारा 50-स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण की शक्ति-युक्तियुक्त समय के भीतर प्रयुक्त की जा सकती है- मात्र एक वर्ष भी अयुक्तियुक्त हो सकता है”।

इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. की पूर्ण पीठ द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालयों के अनेक न्यायदृष्टांतों का संदर्भ देते हुए आई.एल.आर.(2011) एम.पी.-1 रनवीर सिंह मृतक वारिसान किशोरीसिंह एवं अन्य तथा म.प्र. शासन में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि:-
“भू-राजस्व संहिता म.प्र.(1959 का 20) धारा-50 पुनरीक्षण संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत परिकल्पित पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा शक्तियों का प्रयोग

कार्यवाही की अवैधता अनौचित्यता तथा अनियमितता की जानकारी की तारीख से 180 दिन की अवधि के भीतर किया जा सकता है, भले ही अचल सम्पत्ति शासकीय भूमि हो अथवा उसमें कोई लोकहित हो।


R-2



अभिलेख से यह भी प्रमाणित है कि मौहम्मद सफात द्वारा भूमि क्रय करने के पश्चात् अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 61/अ-2/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 26.02.2013 से भूमि का व्यपवर्तन किया गया है तथा तहसीलदार दतिया द्वारा प्रकरण क्रमांक 4/अ-9/02-03 में पारित आदेश दिनांक 24.04.2003 से भूमि तरमीम की गयी है। पूर्व में कलेक्टर, जिला दतिया द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.03.2015 से नक्शा सुधार का आदेश पारित किया है, ऐसी स्थिति में भी कलेक्टर, जिला दतिया के आदेश को अपर कलेक्टर द्वारा स्वमेव पुनरीक्षण में निरस्त किया जाना त्रुटिपूर्ण है। इसी प्रकार राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण क्रमांक 1022/पी.बी.आर./04 में दिये गये निर्देश के अनुसार कलेक्टर, जिला दतिया द्वारा विधिवत जाँच कर नक्शा सुधार एवं तरमीम का आदेश दिनांक 03.11.2008 को दिया गया था, ऐसी स्थिति में भी अपर कलेक्टर न्यायालय को उक्त आदेश पर विचार करने की अधिकारिता नहीं थी। अपर कलेक्टर न्यायालय द्वारा अपने आदेश में यह उल्लेख किया है कि उनके द्वारा अपने पूर्व के आदेश को त्रुटिपूर्ण मानकर पुनर्विलोकन की अनुमति हेतु प्रकरण आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर को प्रेषित किया गया है। किन्तु पुनर्विलोकन की अनुमति के संबंध में आदेश प्राप्त किये बिना ही स्वप्रेरणा से कार्यवाही कर जो आदेश पारित दिनांक 06.11.2015 को पारित किया है, वह नितान्त त्रुटिपूर्ण है।


ऐसी स्थिति में उपरोक्त प्रतिपादित न्यायिक सिद्धांतों के प्रकाश में तथा प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का जो आदेश है, वह न्यायिक एवं विधि-सम्मत न होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

fy



उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर कलेक्टर, जिला दतिया द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.11.2015 विधिसंगत एवं औचित्यपूर्ण नहीं होने से निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार दतिया को निर्देश दिये जाते हैं कि आवेदकों का नाम प्रश्नाधीन भूमि पर भूमिस्वामी के रूप में पूर्ववत् अंकित किया जाये। यह आदेश आवेदक क्रमांक 1 लगायत 18 पर लागू होगा।

१५


(एम० के० सिंह)
सदस्य